[illegible]

[illegible] मोहन,
[illegible],
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र
पूर्वी पटेल नगर नई दिल्ली ।

पत्रांक 171 अनुदान [illegible] लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 1978

विषय:- [illegible] मन्दिर मार्ग रोड देहरादून को [illegible] किया जाना ।

महोदय,

[illegible] मन्दिर मार्ग रोड देहरादून को [illegible] नई दिल्ली से सम्बन्धित [illegible] प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के [illegible] आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की रजिस्टर्ड सोसायटी का सम्पत्ति [illegible] पर [illegible] कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा [illegible] सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और इनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कोर्सों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि भूमि में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मौखिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित [illegible] केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/सीनियर [illegible] सर्टीफिकेट एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बन्ध होगी तो उक्त [illegible] परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद के [illegible] तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

(5) संस्था अपने एवं शिक्षेतर कर्मचारियों को राजकीय [illegible] शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुरूप वेतनमानों [illegible] महंगाई भत्ते इस वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें [illegible] और उन्हें [illegible] राजकीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति का लाभ प्रदान कराये जायेंगे ।

PRINCIPAL

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश [illegible] जायेंगे संस्था अनिवार्य पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निरीक्षण पुस्तक/रजिस्टरों के रूप में रखा जायेगा ।

(9) उपरोक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन शैक्षणिक सत्र में शिथिल नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पूर्व सूचना [illegible] पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गोयल)
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० 3841(1)/15-7-1994 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, पौड़ी गढ़वाल ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।
4- निरीक्षक, आंचल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर पोखरा रोड देहरादून ।

आज्ञा से,

(अशोक गोयल)
संयुक्त सचिव ।

PRINCIPAL
Maharishi Vidya Mandir
Senior Secondary School
Dehra Dun

PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR
SENIOR SECONDARY SCHOOL
FALDO, DEHRADUN